

राजस्थान-सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-निसंशि/शैक्ष-2/पं.131पार्ट-आ/2015/ 37978-98

दिनांक:- 27/10/2015

समस्त प्राचार्य,
बी.एस.टी.सी.संस्कृत
राजस्थान जयपुर।

विषय:-बी.एस.टी.सी./ शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाली विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को सरकारी खर्च पर बी.एस.टी.सी./ शिक्षा शास्त्री योग्यता अर्जित करने हेतु विधवा/ परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के क्रम में।

प्रसंग:-विभागीय समसंख्यक पत्रांक 29380-460 दिनांक 11.09.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा बी.एस.टी.सी./ शिक्षाशास्त्री संस्थाओं में अध्ययनरत विधवा/परित्यक्ता महिलाओं द्वारा संदेय शुल्क का पुर्नभरण किया जाता है।

इस क्रम में सत्र 2015-16 में बी.एस.टी.सी./ शिक्षाशास्त्री संस्थाओं में अध्ययनरत विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के शुल्क पुर्नभरण हेतु संबंधित का बचत खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में खुलवाकर इस संबंध में निम्न प्रपत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति कर आवेदन पत्र मय संलग्न की पूर्ति कर सम्पूर्ण विवरण सहित विभाग को 15 दिसम्बर 2015 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे। निश्चित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यदि कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शून्य की सूचना अवश्य उपलब्ध करावें।

क्र. स.	संस्था का नाम	अध्ययनरत विधवा/ परित्यक्ता महिला का नाम	संबंधित महिला का खाता संख्या एवं एस.बी.बी.जे बैंक शाखा का नाम/पता	बैंक का आई.एफ. एस.सी कोड (IFSC CODE)	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6

(लक्ष्मीनारायण आसोपा)
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान,
जयपुर